झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः 2/PMC/कार्य–251/2013– .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषकः

ई॰ शिवानन्द राय
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि॰)

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से वित्त विभाग द्वारा परामर्शित

महालेखाकार
झारखण्ड
पो॰–हिनू, राँची।

विषय : **तेनुघाट बाँध योजना के अंतर्गत नहर आउटलेट के इमरजेन्सी गेट का मरम्मति, सर्विस गेट का अधिष्ठापन, अतिरिक्त बल्क हेड गेट का मरम्मति एवं अधिष्ठापन, स्पीलवे के आठ अदद स्लुईस एवं Stop log गेट का मरम्मति कार्य, 70 MT गैन्ट्रीक्रेन का मरम्मति कार्य, लिफ्टींग बीम की लैचींग (Latching) व्यवस्था, स्पीलवे के दस अदद रेडियल गेट को लीक प्रूफ बनाने का कार्य, 75 एच॰पी॰ V.T. मोटर लगाने एवं गैलरी से पानी निकालने का कार्य तथा कार्य के दौरान बोकारो का 165 क्यूसेक से 265 क्यूसेक के बीच अनवरत जलापूर्त्ति की व्यवस्था तथा कार्य के उपरान्त अगले पाँच वर्षों तक सभी गेटों का सम्पोषण संबंधी कार्य हेतु EoI के माध्यम से निर्णीत की गयी निविदा के आधार पर रूपये 2349.35254 लाख (रूपये तेईस करोड़ उनचास लाख पैंतीस हजार दो सौ चौवन) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग के परिक्षेत्राधीन उपर्युक्त विषयक कार्य के लिए **रू॰ 2349.35254 लाख (रूपये तेईस करोड़ उनचास लाख पैंतीस हजार दो सौ चौवन)** मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस योजना के कार्य हेतु कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमण्डल, तेनुघाट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

3. <u>इस योजना में होने वाला कुल व्यय</u> :–

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय उपमुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

(ii) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय उपमुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष अंगीकृत उपयोजना उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण

(iii) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय उपमुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उपशीर्ष–46–सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण मरम्मति एवं सुसज्जीकरण के अंतर्गत विकलनीय होगा।

4. योजना को जून 2015 तक पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

5. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् गेटों के रख–रखाव पर प्रतिवर्ष रू॰ 42.71550 लाख का व्यय होगा जो कार्य की कुल राशि रू॰ 2349.35254 लाख में शामिल है।

6. इसके कार्यान्वयन् के पूर्व विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।

7. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत रहेगा।

8. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जायगा। यह आवंटनादेश नहीं है, इसके लिए अलग से आवंटन निर्गत किया जायगा।

9. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

10. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह॰/–
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि॰)

ज्ञापांकः 2/PMC/कार्य–251/2013– .... /राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपि : आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचनार्थ/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांकः 2/PMC/कार्य–251/2013– .... /राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, बोकारो कोषागार/तेनुघाट उपकोषागार, झारखण्ड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांकः 2/PMC/कार्य–251/2013– .... /राँची, दिनांक ....
प्रतिलिपि : वित्त विभाग, संसूचना शाखा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)

ज्ञापांकः 2/PMC/कार्य–251/2013– 85/13न4 प्र॰स्था. /राँची, दिनांक 26.02.2014
प्रतिलिपि : सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/उप सचिव(अभियंत्रण), जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, हजारीबाग/अधीक्षण अभियंता, तेनुघाट बाँध अंचल, तेनुघाट/कार्यपालक अभियंता, तेनुघाट बाँध प्रमंडल, तेनुघाट/वेब सूचना प्रबंधक एवं प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग को सूचना एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

26/2/14
(शिवानन्द राय)
सरकार के संयुक्त सचिव (अभि०)